



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 493] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 13, 2018/अग्रहायण 22, 1940
No. 493] NEW DELHI THURSDAY, DECEMBER 13, 2018/AGRAHAYANA 22, 1940

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2018

सं. बीईई / एस एण्ड एल / एलईडी/ 52/2018-19.—कुछ विनियमों का निम्नलिखित मसौदा, जिनको केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्पों के लेबलों पर उनके प्रदर्शन का विवरण और रीति), विनियमन, 2017, में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिसे, इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उपधारा (1) द्वारा यथा: अपेक्षित प्रकाशित किया जाता है; और सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदा विनियमों पर सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद, जिसकी प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं।

अन्य आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हों, महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, चौथा तल, सेवा भवन, रामकृष्ण पुरम, सेक्टर-1, नई दिल्ली-110 066 को संबोधित किए जाएं;

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा उक्त मसौदा विनियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किसी आपत्तियों या सुझावों पर पैरा 1 में विनिर्दिष्ट तीस दिनों की अवधि समाप्त होने से पूर्व विचार किया जाएगा।

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्पों के लेबलों पर उनके प्रदर्शन का विवरण और रीति), संशोधन विनियमन, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्पों के लेबलों पर उनके प्रदर्शन का विवरण और रीति) विनियम, 2017 (जिन्हें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा जाएगा),—

विनियम 2 में,

(i) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंडों को रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ख) "छोटे मॉडल" से मूल मॉडल को छोड़कर, सभी मॉडल या परिवार के अंदर के मॉडल अभिप्रेत है ;

(खक) "मॉडलों के परिवार" से एक अभिहित समूह, ल्यूमेन रेंज, सीसीटी और स्टार रेटिंग बैंड के अंदर एक परिवार है और निर्माता द्वारा घोषित एक मूल मॉडल और छोटे मॉडल या मॉडल शामिल हैं अभिप्रेत है;

(ii) खंड (च) के बाद, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(छ) "मूल मॉडल" में परिवार से, निर्माता द्वारा मूल मॉडल के रूप में घोषित उच्चतम रेटेड वॉट क्षमता वाले एलईडी लैम्प अभिप्रेत है;

3. उप-विनियम (3) के बाद, उक्त विनियमों के विनियम (6) में, निम्नलिखित उप-विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4) मॉडल के परिवार के अधीन एक मॉडल के पंजीकरण के प्रयोजन से, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4097 (अ) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 14 के खंड (क) के अधीन जारी भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4097(अ) जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में तारीख 28 दिसम्बर, 2017 को प्रकाशित की गई थी के उपबंधों का अनुपालन करता है।"

अभय बाकरे, महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./414/18]

टिप्पणी : प्रकाशित विनियम भारत के राजपत्र असाधारण में अधिसूचना सं. का.आ. बीईई/एस एण्ड एल/एलईडी/52/2017-18 तारीख 28 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2018

No. BEE/S&L/LED/52/2018-19.—The following draft of certain regulations which the Bureau of Energy Efficiency with the previous approval of the Central Government, proposes to amend the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2017, is hereby published as required by sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General of Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, 4th Floor, Sewa Bhawan, R.K.Puram, Sector-1, New Delhi-110066;

Objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period of thirty days specified in para 1 above shall be taken into consideration by the Bureau of Energy Efficiency.

1. **Short title and commencement.**— (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps), Amendment Regulations, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manners of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as the said regulations,— in regulation 2,
 - (i) for clause (b), the following clauses shall be substituted, namely:—

‘(b) “child model” means all model or models under a family, except the parent model;

(ba) “family of models” means a family within a designated group, lumen range, CCT and star rating band and consist of a parent model and child model or models declared as such by the manufacturer;’;

(ii) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:-

‘(g) “parent model” in a family means , the LED lamp with highest rated wattage declared as a parent model by the manufacturer;’;

3. In regulation (6) of the said regulations, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(4) For the purpose of registration of a model under family of models, it shall be ensured that it complies with the provisions of the notification of the Government of India in Ministry of Power number S.O. 4097 (E), published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, sub-section (ii) of dated the 28th December, 2017 issued under clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001.”

ABHAY BAKRE, Director General

[ADVT.-III/4/Exty./414/18]

Note : The published regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number BEE/S&L/LED/52/2017-18, dated the 28th December, 2017.